राज्य के
सरकारी राजपत्र में
तत्काल प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001

दिनांक: 12-11-2013

निदेश

सं 576/3/ईवीएम/2013/एसडीआर (एनसीटीडी) :– यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंध है कि वोटिंग मशीनों के जरिए यथा–विहित ऐसी विधि से मत दिया जाए तथा उसे रिकार्ड किया जाए जैसा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ऐसे निर्वाचन–क्षेत्रों के लिए अपनाई जाए ; और

2- यतः, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है और संतुष्ट है कि ऊपर–उल्लिखित विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, मतदान कर्मी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कुशल संचालन में भली–भांति प्रशिक्षित हैं और निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रचालन में पूरी तरह निपुण हैं।

3. इसलिए, अब, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जहां 9–11–2013 को अधिसूचित उक्त राज्य की विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन में मतों को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित तरीके से तथा इस विषय पर आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अनुपूरक अनुदेशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा डाला एवं रिकार्ड किया जाएगा।

आदेश से,

आशीष चक्रवर्ती

(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव